

**फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ**

धर्मपाल

बनाम

जयसिंह

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

नम्बर 190 सन-2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
22.12.2021	<p>वकील सायल ने यह प्रार्थना -पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 121 की कुल 8.6880हैक्ठ भूमि में से किसी विशेष हिस्से का बेचान आगामी तारीख पेशी नही किया जावे एवं प्रश्नगत भूमि में बिना संक्षम अधिकारी की अनुमति के अकृषि प्रयोग न करे एव अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा । उक्त स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक14/02/22 को पेश हो ।</p>	
14/2/22	<p align="right">सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी</p> <p>वकील सायल उपखण्ड नोहर संख्या-1 की ओर से एकारिफ अधिपत्र उपखण्ड न्यायालय नोहर पेश पर उपखण्ड नोहर विभा गणपती कलक्टर एवं कलक्टर नोहर विभा 01/3/22 वा पेश हो</p>	
01/3/22	<p>वकील सायल उपखण्ड नोहर संख्या-1 की ओर से एकारिफ अधिपत्र उपखण्ड न्यायालय नोहर पेश पर उपखण्ड नोहर विभा गणपती कलक्टर एवं कलक्टर नोहर विभा 25/3/22 वा पेश हो</p>	
25/3/22	<p>वकील सायल उपखण्ड नोहर संख्या-1 की ओर से एकारिफ अधिपत्र उपखण्ड न्यायालय नोहर पेश पर उपखण्ड नोहर विभा गणपती कलक्टर एवं कलक्टर नोहर विभा 12/4/22 वा पेश हो</p>	
13/4/22	<p>पत्रावली पेश हुई । समाचार में निर्णय गरी सुनाया जा सका। पत्रावली शक्रे आगामी दिनांक 18/4/22 को पेश हो।</p>	

18/4/22

~~उत्पन्न करिने गुणवत्ता धारणापत्र
उभयपक्षा वं पत्र म पाया ज्ञान
वै व्यापक किंवा 22.12.2021 वी
परी अध्याय विषयाय व-कर्म
वा उभयपक्षा वी पत्र विषय ज्ञान
ए दिल्ल मिळि पुथल वं लिपिका
जावत रक्षित मधुन विद्या ज्ञान
कारिने केवळ वं~~